संख्या-3/109/58-2014-130/2013

प्रेषक,

कैलाश प्रकाश,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 21 फरवरी, 2014**

विषय: अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में माइक्रोइरीगेशन योजना (राज्यांश) के अन्तर्गत केन्द्रांश मद में कुल उपलब्ध धनराशि के उपयोग हेतु अपेक्षित अनुपात में राज्यांश की धनराशि की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से कराये जाने के फलस्वरूप अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-243-44/बजट(आयोजनागत)/2013-14, दिनांक 08.1.2014 एवं पत्र सं0-256/बजट(आयोजनागत)/2013-14, दिनांक 15.1.2014 के संदर्भ में शासन के पत्र सं0-1/3440/58-2013-131/2013, दिनांक 06.12.2013 एवं वित्त विभाग के पुनर्विचार पत्र सं0-आर0ई-275-ई-1-48/दस-2014, दिनांक 03.2.2014/शासन के पृष्ठांकन सं0-

http://shasanadesh.up.nic.in

109/58-2014-130/2013, दिनांक 05.2.2014 की छायाप्रति संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग द्वारा लेखाशीर्षक 2401-199-01-0118-27 के अन्तर्गत निम्नलिखित मद हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त व्यवस्थित धनराशि रू0-8555 हजार(रूपये- पिच्चासी लाख पचपन हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्ध के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि हजार रूपये में)

अनुदान संख्या/लेखाशीर्षक	आय-व्ययक प्राविधान	पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
<u>अनुदान सं0-10</u> 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत- 119- बागवानी तथा वनस्पति की फसलें- 01-केन्द्रीय आयोजनगत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें- 0118-माइक्रो इरीगेशन योजना(के.80/रा.20-रा.) 27-सब्सिडी	30155	22500	8555
योग	**30155**	**22500**	**8555**

1- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत नियमानुसार किया जायेगा।

2- प्रश्नगत योजनान्तर्गत पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि का 80 प्रतिशत व्यय हो जाने के उपरान्त ही पुनर्विनियोजित धनराशि का आहरण किया जायेगा।

3- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किसी अन्य मद में

http://shasanadesh.up.nic.in

किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। अन्य मद में किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। इसके लिए सम्बन्धित अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

4- भण्डार क्रय नियमों/वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उक्त धनराशि के व्यय करने के पूर्व जहां आवश्यक होगा सक्षम अधिकारी की पुर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

6- व्यय की गयी धनराशि का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा। यदि उक्त मद में कोई धनराशि बचती है, तो उसे शासन को यथासमय समर्पित किया जायेगा।

7- उक्त धनराशि को पुर्नविनियोग के निर्धारित प्रपत्र सं0-9 पर संलग्नक के अनुसार वित्त विभाग की सहमति से व्यवस्थित की गयी है।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0संख्या-ई-1-102/दस-2014, दिनांक 17 फरवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

<u>संलग्नक- यथोक्त।</u>

भवदीय,

ह0/

(कैलाश प्रकाश)

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>संख्या-3/190(1)/58-2014, तददिनांक -</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 को तीन प्रतियों में।
5. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1
6. मुख्य वित्त नियन्त्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

भवदीय,

ह0/

(कैलाश प्रकाश)

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in